न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील संख्या : 32/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मानसिंह पुत्र अनेसिंहजी, जाति रावत निवासी बड़सिया (पनोता), तहसील देसूरी जिला पाली		राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, देसूरी जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 677 दिनांक 05.08.2021 जो तहसीलदार,देसूरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति : अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांक 27.10.2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री मानसिंह पुत्र अनेसिंह ने उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्था भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ग्राम सांसरी पटवार हल्का, कोटसोलकियान भू–अभिलेख निरीक्षक, क्षेत्र मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा न. 217 रकबा 3.12 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के खातेदार सोहनसिंह व लाली से दिनांक 14.07.2011 को पंजीकृत विक्रयविलेख से खरीद की थी जिसका म्यूटेशन तहसीलदार भूमिधारी द्वारा खारिज कर दिया गया। म्यूटेशन प्रपत्र पी–2 में हल्का, पटवारी द्वारा दिनांक 28.07.2021 को यह रिपोर्ट की गई कि म्यूटेशन दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि बेचान दस्तावेज में विक्रेता लाली पत्नी दलेसिंह व सोहनसिंह पुत्र दलेसिंह दोनो का हिस्सा 1/6 दर्ज है, जबकि वर्तमान जमाबंदी में दोनो का हिस्सा 1/10 आता है। अतः जमांबदी एव बेचान दस्तावेजों का मिलान नहीं हो रहा है, इस कारण नामान्तरकरण खारिज योग्य है। तत्पश्चात भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी इसी अनुरुप रिपोर्ट की गई, एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 677 अस्वीकृत कर दिया गया। अपील के साथ म्यूटेशन संख्या 677 दिनांक 05.08.2021 की प्रति, जमाबंदी की प्रति एवं पंजीकृत बिकावनामें की प्रति प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड मंगवाया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रस्तुत अपील, दस्तावेज ,अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन एवं अध्ययन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि बेचान दस्तावेज पंजीकृत विक्रयविलेख में विक्रेतागणों का हिस्सा गलत अंकित किया गया है, जबकि जमाबंदी में अलग हिस्सा दर्शाया गया है। पंजीकृत विक्रय विलेख में हिस्से की गणना करते समय त्रूटि हुई है। तहसीलदार देसूरी द्वारा म्यूटेशन गलत अस्वीकृत किया गया है। पंजीकृत विक्रय विलेख में विक्रेतागणों द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करने का उल्लेख किया गया है। अतः खरीददार को बॉनाफाइड परचेंजर मानते हुये नामान्तरकरण का निर्णय किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार देसूरी द्वारा निर्णित म्यूटेशन संख्या 677 दिनांक 05.08.2021 निरस्त किया जाता है, एव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को यह निर्देश दिये जाते है कि पंजीकृत विक्रय विलेख एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाई की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)